ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनाँक -07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत प्रीणा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री अजीत कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1.	श्री सुरेंदर कुमार	01-04-2021 से 22-12-2021
2.	श्री छांगा राम	22-12-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	**पैरा स०**	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
01.	6.2	स्वच्छ भारत मिशन (SBM),TSC एवं इंदिरा आवास योजना (IAY) के लाभार्थियों को जारी अनुदान राशियों का आबंटन न करने बारे।	3.07
02.	8.1	निर्माण कार्य की समाप्ति उपरान्त पत्थरों का संदिग्ध/अनुचित क्रय अदायगी करने बारे।	0.34

03.	8.3	बिना M (XY) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वितीय हानि बारे।	8.76
04.	8.4	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	4.37
05.	8.5	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	7.65
06.	9.1	पूर्व अवधि में निष्पादित किये निर्माण कार्यों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	8.26
07.	9.3	रिलीफ अनुदान के अंतर्गत निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों व मिस्त्री को अधिक/अनुचित भुगतान करने बारे।	0.14

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 30-03-2024 से 08-04-2024 तक ग्राम पंचायत प्रीणा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	05/2021	07/2021
2.	2022-2023	09/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनाँक 08-04-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत प्रीणा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्वः-स्रोत व अनुदानः-** ग्राम पंचायत प्रीणा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्वः-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है: -

1. स्वः-स्रोत (3rd /5th State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	561767.30	686687.00	1248454.30	1059057.00	189397.30
2022-23	189397.30	1447970.00	1637367.30	1136747.00	500620.30

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति(₹)	योग (₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	5259159.37	16023834.51	21282993.88	17208839.51	4074154.37
2022-23	4074154.37	7934733.80	12008888.17	9238951.80	2769936.37

नोट: उपरोक्त स्वः-स्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd /5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि उक्त स्वः-स्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) ₹500620.30 + ₹2769936.37 =₹3270556.67

(ब) ग्राम पचांयत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनाँक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2023 (₹)
1.	15वां वित्तायोग	20110104019	HPSCB Dharwala	**538594.00**
2.	14वां वित्तायोग	99150100005967	HPGB Dharwala	**57059.88**
3.	SBM	20110104018	HPSCB Dharwala	**00**
4.	IAY/RAY	99151301503223	HPGB Dharwala	**318250.35**
5.	BRGF	85328754137	SBI Mehla	**42196.00**
6.	VKVNY/ICDS	17910107055	HPSCB Chamba	**695206.03**

7.	MPLAD/MMGPY	20110104475	HPSCB Dharwala	**915036.95**
8.	SDP/CRF VMJS etc.	99151301503197	HPGB Dharwala	**102017.00**
9.	SABHA NIDHI/3rdState	20110102718	HPSCB Dharwala	**251852.30**
			Cash in hand	**0**
			TOTAL	**₹2920212.51**

अन्तर (अ-ब) ₹3270556.67- ₹2920212.51 = ₹350344.16

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹3.50 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत प्रीणा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाँक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹350344.16 का अन्तर बैंक पास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹1.02 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में e-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत e-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे

मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनाँक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेर व मेनुअल लेखों में निम्न विवरणानुसार राशि ₹1,02,656.49 का अन्तर पाया गया।

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹31,67,900.18**
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹**32,70,556.67**
अन्तर	**₹1,02,656.49**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़ बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹27.70 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2769936.37 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 स्वच्छ भारत मिशन (SBM),सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) एवं इंदिरा आवास योजना (IAY) के तहत जारी राशि ₹3.07 लाख का आबंटन न करने बारे :-

ग्राम पंचायत प्रीणा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत को TSC एवं SBM अनुदानों के तहत शौचालय निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार ₹270000 की सहायता राशि जारी की गई थी परन्तु पंचायत द्वारा इसे क्रमश: 6 व 9 वर्ष बीतने की उपरान्त भी सम्बन्धित लाभार्थियों को आबंटित नहीं किया गया। इसी प्रकार गृह निर्माण हेतु IAY योजना के तहत श्री सुखिया राम को जारी दूसरी क़िस्त ₹37500 भी पंचायत के खाते में शेष थी पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

Sr.No Year	Grant	Particulars	Total Amount (₹)
1.2015	TSC	50 Nos. Individual Toilets @3000	150000
2.2019	SBM	10 Nos. Individual Toilets @12000	120000
3.2019	IAY	2nd Instalment for house construction Sh. Sukhiya Ram s/o Sh. Gorkhu	37500
Total amount unutilized/undistributed till date (31-03-2023)			**₹307500**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनाँक 05-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि SBM व TSC अनुदानों के तहत जारी राशि को सम्बन्धित लाभार्थियों द्वारा शौचालय न बाने के कारण प्रेषित नहीं किया जा सका एवं IAY के ताकत जारी दूसरी क़िस्त की राशि भी पंचायत खाते में पड़ी है क्योंकि लाभार्थी द्वारा घर का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया।

उक्त अनुदानों के तहत प्राप्त राशि को नियमानुसार व्यय/आबंटन हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया अन्यथा अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.45 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई

व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत प्रीणा के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्नलिखित ₹45400 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वितीय वर्ष	अथशेष (₹)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार (₹)	वर्ष के दौरान माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	53900	255	20	5100	59000	0	59000
2022-23	59000	282	50	14100	73100	27700	45400

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनाँक 08-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹3025/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL/Rate		राशि	BPL/Rate		राशि (₹)	कुल राशि सामान्य व BPL(₹)
		Without late fee (₹)	With Late Fee (₹)		Without late fee (₹)	With Late Fee (₹)		
2021-22	13	04@200	2@400	1600	06@25	01@50	200	1800
2022-23	05	02@200	02@400	1200	01@25	-	25	1225
कुल योग	**18**	**41@200**	**-**	**2800**	**09@25**	**-**	**225**	**3025**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-13 दिनाँक 08-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 गृहकर की वसूली गई राशि ₹0.27 लाख को विलम्ब से जमा/दर्ज करवाने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा राशि ₹27000 की वसूली अप्रैल, 2022 में की गई थी परन्तु इसमें से ₹5700 अक्टूबर, 2022 राशि ₹22000 मार्च, 2023 को रोकड़ बही में दर्ज की गई एवं बैंक में जमा की गई जोकि उक्त नियम की न केवल स्पष्ट अवहेलना है अपितु अत्यधिक विलम्ब के संस्थान को ब्याज की हानि उठानी पड़ी बल्कि इससे राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनाँक 05-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि भविष्य में प्राप्त राशि को समय पर रोकड़ बही में दर्ज एवं बैंक में जमा करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त मामले एवं इस प्रकार के अन्य मामलों की आंतरिक स्तर पर जांच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न हो कृत अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

8.1 निर्माण कार्य की समाप्ति उपरान्त राशि ₹0.34 लाख की संदिग्ध/अनुचित क्रय अदायगी करने बारे :-

ग्राम पंचायत प्रीणा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्षक के अंतर्गत फ्लड प्रोटेक्शन कार्य कोटलू में निष्पादित किया गया जोकि पंचायत द्वारा विकास खण्ड कार्यालय जारी प्रपत्र-34, मस्ट्रोल एवं कार्यस्थल पर लगे साईन बोर्ड से पूर्णत: स्पष्ट है कि उक्त कार्य दिनाँक 15-12-2020 को पूर्ण/समाप्त किया जा चुका था परन्तु आगे अंकेक्षण अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मै० सैनो सुपुत्र घोदी के बिल संख्या 184 दिनाँक 17-12-2020 को 18 क्यूबिक मीटर पत्थर 1900 की दर से राशि ₹34200 क्रय उक्त कार्य हेतु किया गया गया है जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनाँक 05-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि यह व्यय तत्कालीन सचिव द्वारा किया गया है इस राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर से लाई जाती है। अत: उक्त प्रकरण को ठोस तथ्यों के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवा दी जाये इस प्रकार के अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर गहन जाँच की जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किये जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

8.2 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत प्रीणा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति

निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹8.76 लाख के राजस्व की भारी वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली, 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चम्बा के पत्र संख्या 902 दिनाँक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹876221.54 (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/04 दिनाँक 05-04-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही M फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथा शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹4.37 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत प्रीणा के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹9176283/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि अधिकतर फर्में रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है। लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी की गई है एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹436966 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनाँक 05-04-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.5 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹7.65 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत प्रीणा की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्नविवरणनुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपियोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1.15th FC	कार्य: गंदा जल निकास नाली चमन हाउस से रतन हाउस	65,000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order
2.15th FC	कार्य : रास्ता निर्माण अननेहर से अवारकुड	1,00,000	do
3.BASP Nov.2012	कार्य : खेल मैदान GPS रैणा	1,00,000	do
4.MGREGA	कार्य: क्रेट वर्क गुवाड़ घार	5,00,000	do
	कुल योग	**₹7,65,000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनाँक 05-04-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है इसके अतिरिक्त तकनीकी स्तर के अन्य अभिलेख पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है जिससे कि इन्हें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं

किया जा सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 पूर्व अवधि में हुए राशि ₹8.26 लाख के निर्माण कार्यों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत प्रीणा के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा संक्षिप्त निम्नविवरणनुसार (विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार) राशि **₹**826413 का भुगतान भुगतान जुलाई 2021 के दौरान किया गया जबकि यह बिल/वॉउचर पूर्व अवधि से सम्बन्धित है। इतने पुराने कार्यों का इतने समय तक भुगतान न करना एवं वर्तमान अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, बिना अभिलेखों,बिलों के भुगतान करना तथा इसमें अग्रवर्णित विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत यह व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

क्रम.	वर्ष एवं अनुदान जिसमें कार्य निष्पादित किया	कुल राशि जिसका भुगतान जुलाई 2021 में किया गया (₹)	विलम्ब अवधि वर्षों में
1.	2019. VKVNY	₹97950	2 वर्ष
2.	2010.Relief/CRF	₹197500	10 वर्ष
3.	2012.BASP	₹182586	09 वर्ष
4.	2015.VKVNY/SDP/ VMJS	₹348377	06 वर्ष
	कुल योग	**₹826413.00**	

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई विविध वित्तीय व अन्य अनियमितााओं बारे

1. उक्त अनुदानों के तहत करवाये गए विभिन्न निर्माण कार्यों में आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई प्रॉपर बिल/टैक्स इनवॉइस जारी न करके केवल केश मैमों ही दिया गया है इस क्रय हेतु न तो कोई औपचरिकतायें पूरी की गई है और न ही इसे स्टॉक में इन्द्राज किया गया तथा न ही उद्योग (खनन विभाग) के दिशा-निर्देशों अनुसार XY(M) फार्म प्राप्त किया गया। उक्त कार्य हेतु क्रय सीमेंट के बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं करवाए गए और न ही इनका स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज पाया गया।

2. उक्त निर्माण कार्यों के अंतर्गत मस्ट्रोलों को जारी करने का प्रस्ताव संख्या,दिनाँक अंकित नहीं है और न ही यह पंचायत के मस्ट्रोल रजिस्टर में दर्ज है इसके अतिरिक्त अधिकतर मस्ट्रोलों को इसमें कार्यरत मजदूरों, निर्माण व सतर्कता समिति इत्यादि के हस्ताक्षर नहीं पाये गए और न ही तत्कालीन प्रधान द्वारा कार्यरत मजदूरो की उपस्थिति को सत्यापित किया गया है एवं भुगतान केवल प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही पारित किये गए जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह संदिग्ध प्रतीत होता है।

3. उक्त निर्माण कार्यों के कार्य/स्वीकृति आदेश,तकनीकी व प्रशासनिक अनुमोदन, प्राक्कलन, कार्य विस्तार अनुमति, सतर्कता समिति रिपोर्ट, उपियोगिता प्रमाण पत्र, प्रारूप-34, मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर इत्यादि अभिलेखों के बिना ही वर्ष 2010 व आगे करवाए गए कार्यों का भुगतान 2021 में किया जाने की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

4. इसके अतिरिक्त रिलीफ अनुदान के तहत करवाए गए कार्य के अंतर्गत मस्ट्रोल संख्या 23006 वर्ष 2011 में जारी किया गया जबकि मस्ट्रोल संख्या 23007 वर्ष 2010 में जारी किया गया था जोकि क्रमिक नहीं है इसी प्रकार उक्त अवधि में जारी मस्ट्रोलों में मजदूरी का भुगतान 150 प्रति दिवस की दर से किया गया एवं मिस्त्री को प्रति 185 की दर से भुगतान किया गया जबकि वर्ष 2010 में मजदूरी की दर 120 प्रति दिवस एवं मिस्त्री की दर 153 की दर से किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकरण में न केवल अधिक भुगतान हुआ अपितु उक्त तथ्यों के दृष्टिगत पूरा भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनाँक 05-04-2024 द्वारा पंचायत सचिव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त भुगतान पुरानी अवधि के थे जिनको तत्कालीन सचिव व प्रधान द्वारा किया गया है लेकिन वर्णित आवश्यक/वांछित अभिलेख पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है इनका भुगतान बिना औपचारिकताओं, प्रॉपर बिलों पर नहीं किया गया एवं न ही मस्ट्रोल रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध है इस सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव से जबाब लेकर विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा।

उक्त तथ्यों एवं पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत उक्त किय गया व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्योयचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹3 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत प्रीणा द्वारा राशि ₹300081/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनाँक 05-04-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 रिलीफ अनुदान के अंतर्गत राशि ₹0.14 लाख का अधिक/अनुचित भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के **चैप्टर-9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रिलीफ/CRF अनुदान के तहत ब्रेस्टवाल स्क्रेन्णा-1st का कार्य 2010-11 में करवाया गया था परन्तु इस कार्य में कार्यरत श्रमिकों व मिस्त्री को हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या FIN-(PR)B(7)-33/2010 दिनाँक 07-09-2010 के अंतर्गत निर्धारित/अपेक्षित दर से भुगतान न करके निम्नविवरणनुसार राशि ₹13,980 का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया जोकि अनुचित है।

वाउचर सं०/ दिनाँक	**मस्ट्रोल संख्या व अवधि**	**कुल कार्य दिवस, दर व वास्तविक भुगतान (₹)**	**अपेक्षित भुगतान (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
24/	23007/	230@150=34500	230@120=27600	230@30=6900

07-06-21	01-10-2010 30-10-2010	30@185=5550	30@153=4590	30@32=960
23/ 07-06-21	23006/ 01-11-2011 30-11-2011	172@150=25800 30@185=5550	172@120=20640 30@153=4590	172@30=5160 30@32=960
	कुल योग	**₹71400**	**₹57420**	**₹13980**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनाँक 05-04-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि अधिक व्यय/भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अत: उक्त किये गए अधिक भुगतानों को तथ्यों, वांछित अभिलेखों व अन्य साक्ष्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त नियमानुसार सम्बंधित सचिव से अधिक भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की भी विभागीय स्तर पर जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से अधिक/अनुचित भुगतान की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके। अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.4 राशि ₹3.64 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत प्रीणा के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणनुसार कुल राशि ₹364161/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई:-

क्र०स०/ अनुदान	**निर्माण कार्य**	**मस्ट्रोल संख्या**	**वाउचर/ दिनाँक**	**राशि (₹)**
th FC1.15	कार्य:गंदा जल निकास नाली चमन हाउस से रतन हाउस	28904/ 28905	11 & 12/ 12-05-2022	37104
th FC2.15	कार्य : रास्ता निर्माण अननेहर से अवारकुड	26496	16/ 12-05-2022	55800

3. VKVNY 19-2018	कार्य: पक्का पाथ अपर प्रीणा से मामल कुंड	21746	22/ 06-07-2021	33210
4.Relief 2011	कार्य: ब्रेस्ट वाल GPS स्क्रेणा	23006/ 23007	23 & 24/ 06-07-2021	71400
5.BASP 2015	कार्य : खेल मैदान GPS रैणा	23015	34/ 06-07-2021	82350
6.VMJS 2015	कार्य: सामुदायिक भवन चन्हेला	24275	35/ 06-07-2021	66300
7.SDP	कार्य : पनिहार सरना	24232	18/ 13-05-2022	17997
			कुल योग	**₹364161**

1. मस्ट्रोल पर सतर्कता एवं निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाने बारे।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करने बारे।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
4. मस्ट्रोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनाँक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनाँक 05-04-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.5 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹2.98 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत प्रीणा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹298247/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के

दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनाँक 05-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि पंचायत द्वारा सभी सभी बिलों को केवल प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही पारित किये गए हैं भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्रवाई लाई जाती है। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.6 राशि ₹2.98 लाख के क्रय सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्द्राज न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत प्रीणा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹298247/- का सामान क्रय किया गया। परन्तु उसकी स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है। जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है अपितु स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में उक्त क्रय किये गए सामान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनाँक 05-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु समय-समय पर क्रय स्टोर/स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न किया जाने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 मनरेगा मटेरियल रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2021-2022 एवं 2022-2023 के दौरान कुल ₹2608419 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी

सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष व अन्तशेष का विवरण भरा गया है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनाँक 05-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि मनरेगा के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत प्रीणा के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त रोकड़ बहियों के न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए थे जिससे कि पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति में अन्तशेष व अथशेषों का सत्यापन नहीं किया जा सका और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत प्रीणा के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट

एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि पंचायत के स्वः-स्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत प्रीणा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनाँक 06-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया

जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

02/7/24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति
3100 – 3104 02 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 152/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2024

02/7/24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Preena for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	561767.30	686687.00	1248454.30	1059057.00	189397.30
2022-23	189397.30	1447970.00	1637367.30	1136747.00	500620.30

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	5259159.37	16023834.51	21282993.88	17208839.51	4074154.37
2022-23	4074154.37	7934733.80	12008888.17	9238951.80	2769936.37

3270556.67

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खंड मैहला में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत चार रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है ।

1+2 (500620.30+2769936.37)

	C/B as per Cash Books	3270556.67
	C/B as per Bank Passbool	2920212.51
Difference	**(Less in bank passbook**	**350344.16**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत प्रीणा
वि0 ख0 मैहला
जिला चम्बा (हि.प्र.)

Income Statement of GP Preena Development Block Mehla Distt. Chamba (H.P.) For the Year 2021-2022

Months	Own Sources	5th Sfc	VKVNY	BASP	CRF	SDP	15TH	MNREGA	MPLAD	MMGPY	VMJS	14FC	ICDS	BRGF	IAY/TSC	SBM	Total
April		65400	179950		28749		121298	451850.13									847247.13
May	219185						70458	0.00									289643.00
June	20381						117986	123465.00						273	4225		266330.00
July		65400				35000		7477892.38		75000							7653292.38
August	25857					290508		652590.00		60000						615000	1643955.00
September	33839	74000	49000	49000		98300	117072	207872.00						275	5599	173000	807957.00
October		70200	49000	151900		196000		126364.00								205632	799096.00
November			90000					111447.00									201447.00
December								147784.00						273			148057.00
January	8990	72919				40000		275471.00									397380.00
February	29787						650000	1460898.00				5208				220623	2366516.00
March	729							1185605.00				14312		272	6919	81764	1289601.00
Total	**338768**	**347919**	**367950**	**200900**	**28749**	**659808**	**1076814**	**12221238.51**	**0**	**135000**	**0**	**19520**	**0**	**1093**	**16743**	**1296019**	**16710521.51**

Expenditure Statement of GP Preena Development Block Mehla Distt. Chamba (H.P.) For the Year 2021-2022

Months	Own Sources	5th Sfc	VKVNY	BASP	CRF	SDP	15TH FC	MGREGA	MPLAD	MMGPY	VMJS	14TH FC	ICDS	BRGF	IAY/TSC	SBM	TOTAL
April		61800						451850.13									513650.13
May	363329				219185	47080		0									629594.00
June	25210	29248	4510					123465									182433.00
July	**19050**	**283464**	**312500**	**215086**	**268560**	**77310**		**7477892.38**	**3560**		**322233**		**51980**				**9031635.38**
August	5850							652590				105000		177			763617.00
September	5850				59400	252404		207872		8220	19782						553528.00
October	1180	104380				50530		126364									282454.00
November	130486	8800	252050	225600		302390		111447				219310				95985	1346068.00
December								147784							108000		255784.00
January		18000						275471									293471.00
February	2410			21780	39148	104245		1460898		339686		15709				1192781	3176657.00
March								1185605				7250				46150	1239005.00
Total	**553365**	**505692**	**569060**	**462466**	**586293**	**833959**	**0**	**12221238.51**	**3560**	**347906**	**342015**	**347269**	**51980**	**177**	**108000**	**1334916**	**18267896.51**

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Preena Development block Mehla Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	5th Sfc	VKVNY	BASP	CRF	SDP	15TH	MNREGA	MPLAD	MMGPY	VMJS	14FC	ICDS	13FC	IAY/ TSC	BRGF	SBM	Total
April	32154.00	66300.00				24500.00	19331.00	481922.00										624207.00
May	0.00		25000.00			175200.00	117115.00	1540784.00										1858099.00
June	716.00	756600.00					70458.00	12720.00				3512.00				280.00		844286.00
July	1540.00				164480.00	295624.00		130592.00							2649.00			594885.00
August	29859.00		75000.00				72073.00	0.00		59800.00		3277.00						240009.00
September	57294.00		25000.00			148000.00	15940.00	8480.00							2376.00		2985.00	260075.00
October	35700.00	840.00					105686.00	159848.00				2756.00				281.00		305111.00
November	0.00							474244.00										474244.00
December	2240.00						108108.00	803055.60										913403.60
January	3010.00	157200.00						321953.60	75000.00		500000.00					280.00	2500.00	1059943.60
February	12000.00		50000.00					298417.60										360417.60
March	15317.00	277200.00	24485.00		64000.00	643324.00	180181.00	636490.00				2388.00			4359.00	279.00		1848023.00
Total	189830.00	1258140.00	199485.00	0.00	228480.00	1286648.00	688892.00	4868506.80	75000.00	59800.00	500000.00	11933.00	0.00	0.00	9384.00	1120.00	5485.00	9382703.80
																		0

Expenditure Statement of GP Preena Development block Mehla Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	5th Sfc	VKVNY	BASP	CRF	SDP	15TH FC	MGREGA	MPLAD	MMGPY	VMJS	14TH FC	ICDS	13TH FC	IAY/ TSC	BRGF	SBM	TOTAL
April	10953.00	94850.00	8007.00		22400.00		202444.00	481922.00				18875.00					214748.00	1054199.00
May	5240.00		40794.00			50857.00	241813.00	1540784.00										1879488.00
June	6000.00	615605.00	17773.00			193171.00	462329.00	12720.00							24000.00		69588.00	1401186.00
July	7400.00	21300.00			173444.00	44112.00	103744.00	130592.00							19500.00			500092.00
August	2587.00	20000.00	25058.00			44650.00	142070.00	0.00				61435.00	36700.00		3000.00			335500.00
September	3597.00	196321.00	93183.00				102941.00	8480.00		57456.00		13849.00					132991.00	608818.00
October	1450.00	72004.00	0.00	0.00	0.00	164223.00	32240.00	159848.00				22770.00	12838.00		6000.00			471373.00
November	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39608.00	474244.00							3000.00			516852.00
December	2060.00	21350.00			32200.00		64940.00	803055.60										923605.60
January	6230.00	19300.00	7260.00		8050.00	46000.00	40138.00	321953.60	50440.00			51506.00		3925.00				554802.60
February		24000.00	43991.00				166488.00	298417.60			499974.00	7500.00						1040370.60
March		6500.00	21100.00		73626.00		59904.00	636490.00				288792.00			3000.00			1089412.00
Total	45517.00	1091230.00	257166.00	0.00	309720.00	543013.00	1658659.00	4868506.80	50440.00	57456.00	499974.00	464727.00	49538.00	3925.00	58500.00		417327.00	10375698.80

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत प्रीणा
वि० ख० मैहला
जिला चम्बा (हि.प्र)

25

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भि

Financial Position Grants in Aids of GP Preena for the Year to 2021-2022 To 2022-23

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0.00	12221238.51	12221238.51	12221238.51	0.00
		2022-23	0.00	4868506.80	4868506.80	4868506.80	0.00
2	15TH FC	2021-22	515447.00	1076814.00	1592261.00	0.00	1592261.00
		2022-23	1592261.00	688892.00	2281153.00	1658659.00	622494.00
3	14TH FC	2021-22	818232.88	19520.00	837752.88	347269.00	490483.88
		2022-23	490483.88	11933.00	502416.88	464727.00	37689.88
4	SBM	2021-22	489578.00	1296019.00	1785597.00	1334916.00	450681.00
		2022-23	450681.00	5485.00	456166.00	417327.00	38839.00
5	IAY/RAY/TSC	2021-22	392319.35	16743.00	409062.35	108000.00	301062.35
		2022-23	301062.35	9384.00	310446.35	58500.00	251946.35
6	GENERAL SDP/Relief/VKVNY/MPLAD,BASP,CRF,VMIS,ICDS etc	2021-22	3003422.14	1392407.00	4395829.14	3197239.00	1198590.14
		2022-23	1198590.14	2349413.00	3548003.14	1771232.00	1776771.14
7	BRGF	2021-22	40160.00	1093.00	41253.00	177.00	41076.00
		2022-23	41076.00	1120.00	42196.00	0.00	42196.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत प्रीणा
वि० ख० मेहला
जिला चम्बा (हि.प्र)

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला ,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.14TH FC	Nil/ 18-03-23	Stone	26m3@1800	M/S Ashok Kumar PO Preena , Chamba	46800	**Quotations**
2.14TH FC	Nil/ 12-11-21	Stone	50m3@1800	M/S Ashok Kumar PO Preena , Chamba	90000	**Tender**
3. BASP	41/ 06-07-21	3 Door 3 Window	20000 12500	M/S Piar Singh Chauhan	32500	**Quotations**
4. VKVNY	30/ 06-07-21	Stone	7.5m3@1930	M/S Chain Lal PO Preena, Chamba	14475	**Quotations**
5.VKVNY	32/ 06-07-21	Stone	15m3@1500	M/S Charan Singh, PO Preena, Chamba	22500	**Quotations**
6.VKVNY	33/ 06-07-21	Sand	220ft@120	M/S Kuman Singh, PO Preena, Chamba	24000	**Quotations**
7.VMJS	45 & 47/ 06-07-21	Sand	370ft@173.93	M/S Karam Chand PO Preena, Chamba	64356	**Tender**
8.SF	65& 66/ 14-07-21	Stationery	-	M/S Daksh Printers & Stationers, Chamba	5450	**Quotations**
				Total	**300081**	

प्रधान
ग्राम पंचायत प्रीणा
वि० ख० मैहला, जिला चम्बा

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.3 व 8.4 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP PREENA FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST

	01-04-2021 TO 31-03-2023										
SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	M/S Ashok Kumar	14TH FC	Nil	Stone	26	58.24	46800	100	5824.00	44571.43	2228.57
	PO Preena, Chamba		18-03-2023	Sand	11	17.60	32571	100	1760.00	31020.00	1551.00
2	M/S Ashok Kumar	14TH FC	Nil	Stone	50	112.00	90000	60	6720.00	85714.29	4285.71
	PO Preena, Chamba		12-11-2021					60	0.00	0.00	0.00
3	M/S Bittu Ram	SBM	Nil	Sand	2.66	4.26	5640	60	255.36	5371.43	268.57
	PO Preena, Chamba		18-02-2022	Aggre.	5.32	10.32	5640	60	619.25	5371.43	268.57
				Stone	34.75	77.84	66520	60	4670.40	63352.38	3167.62
4	M/S Kaku Ram	15TH FC	19 To 22	Stone	100	224.00	68500	100	22400.00	65238.10	3261.90
	PO Preena , Chamba		30-05-2022	Sand	5.3	8.48	10202	100	848.00	9716.19	485.81
				Aggre.	10.6	20.56	20034	100	2056.40	19080.00	954.00
5	M/S Vinod Kumar	VKVNY	17 & 18	Sand	1.41	2.26	3000	60	135.36	2857.14	142.86
	PO Preena , Chamba		06-07-2021	Stone	10	22.40	13000	60	1344.00	12380.95	619.05
6	M/S Ashok Kumar	VKVNY	18 to 20	Stone	25	56.00	27500	60	3360.00	26190.48	1309.52
	PO Preena, Chamba		06-07-2021	Aggre.	6.85	13.29	14520	60	797.34	13828.57	691.43
				Sand	3.39	5.56	9600	60	333.58	9142.86	457.14
7	M/S Chain Lal	VKVNY	30,	Stone	7.5	16.80	14475	60	1008.00	13785.71	689.29
	PO Preena , Chamba		06-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
8	M/S Charan Singh	VKVNY	32,	Stone	15	33.60	22500	60	2016.00	21428.57	1071.43
	PO Preena , Chamba		06-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
9	M/S Kuman Singh	VKVNY	33,	Sand	5.66	9.06	24000	60	543.36	22857.14	1142.86
	PO Preena, Chamba		06-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
10	M/S Chain Lal	VMJS	48,	Bajri	8.77	12.80	18600	60	768.25	17714.29	885.71
	PO Preena , Chamba		06-07-2021					60			
10	M/S Jagdish	VMJS	46,	Sand	5.66	9.06	30666	60	543.36	29205.71	1460.29
	PO Preena , Chamba		06-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
11	M/S Karam Chand	VMJS	45 & 47	Sand	10.47	16.75	64356	60	1005.12	61291.43	3064.57
	PO Preena , Chamba		06-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
12	M/S Pappu Ram	BASP	51,	Stone	20	44.80	45000	60	2688.00	42857.14	2142.86
	PO Preena, Chamba		06-07-2021					60	0.00	0.00	0.00
13	M/S Chain Lal	MMGPY	140 TO 145	Stone	210	470.40	294000	60	28224.00	280000.00	14000.00
	PO Preena , Chamba		18-02-2022					60	0.00	0.00	0.00
14	M/S Vinod Kumar	SDP	13 & 14	Sand	2.83	4.53	6000	60	271.68	5714.29	285.71
	PO Preena , Chamba		12-05-2022	Aggre.	3.96	7.68	8400	60	460.94	8000.00	400.00
15	M/S Bittu Ram	SDP	15 -17	Sand	1.24	1.98	2640	60	119.04	2514.29	125.71
	PO Preena Chamba		13-05-2022	Aggre.	1.33	2.58	2820	60	154.81	2685.71	134.29
				Stone	7	15.68	13300	60	940.80	12666.67	633.33
16	M/S Bittu s/o Ujjal	VKVNYU	NIL	Sand	2.11	3.38	4431	60	202.56	4220.00	211.00
	PO Preena Chamba		13-05-2022	Aggre.	4.25	8.25	8925	60	494.70	8500.00	425.00
				Stone	2	4.48	3800	60	268.80	3619.05	180.95
						TOTAL	**977440**		**90833.11**	**930895.24**	**46544.76**
		MGNERA									
If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken											

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter ($M^{3)}$ Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter ($M^{3)}$ to Tonne**

One Cubic Meter ($M^{3)}$ Sand	**1.60**
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate Mi	**1.94**
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate	**1.46**
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Stone	**2.24**

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत प्रीणा
जिला चम्बा (हि.प्र.

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.3 व 8.4 में अंकित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP PREENA FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	ASHOK KUMAR S/O Lakhu Ram	MGREGA	06-07-2021	Stone	748.50	1676.64	1022537.50	60	100598.40	973845.24	48692.26
2	BINTA DEVI S/O THAKRU	MGREGA	06-07-2021	Stone	478.50	1071.84	858650.00	60	64310.40	817761.90	40888.10
3	BITTU RAM S/O SANT	MGREGA	06-07-2021	Stone	929.50	2082.08	1365445.00	60	124924.80	1300423.81	65021.19
4	BITTU RAM S/O UJJAL RAM	MGREGA	06-07-2021	Stone	894.69	2004.11	1328545.50	60	120246.34	1265281.43	63264.07
5	Chain Lal S/o Machalu	MGREGA	06-07-2021	Stone	622.00	1393.28	844400.00	60	83596.80	804190.48	40209.52
6	SAINO S/O GHODI VILL. RAINA	MGREGA	06-07-2021	Stone	389.00	871.36	616890.00	60	52281.60	587514.29	29375.71
7	VINOD KUMAR S/O PRABHU RAM	MGREGA	06-07-2021	Stone	604.60	1354.30	718367.50	60	81258.24	684159.52	34207.98
8	ASHOK KUMAR S/O Lakhu Ram	MGREGA	23-05-2022	Stone	41.00	91.84	73800.00	60	5510.40	70285.71	3514.29
9	BITTU RAM S/O UJJAL RAM	MGREGA	23-05-2022	Stone	30.76	68.90	59982.00	60	4134.14	57125.71	2856.29
10	Chain Lal S/o Machalu	MGREGA	23-05-2022	Stone	897.00	2009.28	1112800.00	60	120556.80	1059809.52	52990.48
11	VINOD KUMAR S/O PRABHU RAM	MGREGA	23-05-2022	Stone	198.00	443.52	177425.00	60	26611.20	168976.19	8448.81
12	Chain Lal S/o Machalu	MGREGA	23-05-2022	Sand	14.16	22.66	20000.00	60	1359.36	19047.62	952.38
						TOTAL	8198842.5		785388.48	7808421.43	390421.07

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3 Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter ($M^{3)}$ to Tonne**

One Cubic Meter ($M^{3)}$ Sand	**1.60**
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate M	**1.94**
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate	**1.46**
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Stone	**2.24**

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत प्रीणा
जिला चम्बा (हि.प्र.)